



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-01092026-275898
CG-AP-E-01092026-275898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4624]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4624]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4813(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिले के वेस्ट गूडूर गांव और गूडूर मंडल में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – ओंगोल-गूडूर सेक्शन में गूडूर टीएसएस का निर्माण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गूडूर को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गूडूर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : आंध्र प्रदेश राज्य के श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिले के वेस्ट गूडूर गांव और गूडूर मंडल में "3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - ऑगोल-गूडूर सेक्शन में गूडूर टीएसएस का निर्माण".

क्र.सं.	सर्वेक्षण सं.	नया सर्वेक्षण एलपी सं.	कुल क्षेत्र एकड़ों में	अधिकृत की जाने वाली भूमि एकड़ों में	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/ सरकारी भूमि का विवरण	सर्वेक्षण सं.सीमाएं				पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्ति (सरकारी / पट्टा भूमि/ डीकेटी)
						पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण		
1	2010-2D1	2010-2D1ए	7.54	6.12	सरकारी भूमि (सबस्टेशन)	नेलकैस्ट फैक्टरी	रेलपथ	सड़क	एपी ट्रांसको सब स्टेशन	आरसीसी बिल्डिंग-1; एस्बेस्टस शीट शेड-1; चेकिंग पॉइंट रूम-1; नीम के पेड़-75; तुरई के पेड़-33; इमली के पेड़-28; ताड़ का पेड़-1; जंगली जिलेबी-3; बुड एप्पल-2; इंडियन फिल्वर्ट (सोपनट का पेड़)-3; कानुगा के पेड़-3; पीपल के पेड़-3; जामुन के पेड़-3; बिल्डिंग-1; कुआं-1.	सरकारी
2	2012-1	2012	7.07	0.88							
कुल				7.00							

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/GDR/20A]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Coast Railway)****NOTIFICATION**

Visakhapatnam, the 19th August, 2026

S.O. 4813(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Construction of Gudur TSS in Ongole-Gudur section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target in West Gudur Village & Gudur Mandal in Sri Potti Sriramulu Nellore District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Revenue Divisional Officer, Gudur in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Gudur shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Gudur TSS in Ongole-Gudur section for up – Gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target in West Gudur Village & Gudur Mandal in Sri Potti Sriramulu Nellore District in the state of Andhra Pradesh.

S. No	Survey No	New Survey LP NO	Total Extent Acs	Extent under acquisition Acs	Name and address of the person interested/Details of the Govt. Land	Survey No Boundaries				Details of Trees, Structures etc.,if any	Remarks (Govt./ Patta/ DKT)
						E	W	N	S		
1	2010-2D1	2010-2D1A	7.54	6.12	Govt land (Sub station)	Nel cast Factory	Rly Track	Road	AP Transco Sub station	RCC Building-1; Asbestos sheet shed-1; Checking point Room-1; Neem trees-75; Turai Trees-33; Tamarind Trees-28; Palm Tree-1; Jungle Jilebi-3; Wood Apple-2; Indian Filbert (Soapnut tree)-3; Kanuga Trees-3; Peepal Trees-3; Jamun Trees-3; Demolished condition Building-1; Well-1.	Govt
2	2012-1	2012	7.07	0.88							
Total				7.00							

[F. No. W. Con/182/SRP/TSS/GDR/20A]

K.SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-II